



औरंगाबाद छावनी परिषद
बंगला नं. १०, नगर रोड, औरंगाबाद छावनी,
औरंगाबाद, महाराष्ट्र-431002

दूरभाष : 0240-2370806 | ई-मेल: aurangabadcantonment@gmail.com

दिनांक : 05.11.2024

जाहीर सूचना

सभी छावनी निवासियों को यह सूचित किया जाता है की, वर्ष 2024-25 के संपत्ति कर, जल कर और दुकान के किराया E-Chawani Portal पर प्रकाशित की गई है।

छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 102(1) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति, जिस पर धारा 100 के तहत डिमांड नोटिस तामील किया गया है, अगर वो व्यक्ति डिमांड नोटिस की तामील के 30 दिनों के भीतर, नोटिस में मांगी गई राशि का भुगतान नहीं करता है, तो वह मांग की सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों की समाप्ति की तारीख से प्रत्येक पूर्ण माह के लिए देय राशि का 1% देय राशि और अन्य शुल्कों के अतिरिक्त ब्याज के रूप में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

दिनांक 1 जुलाई 2024 से नोटिस ऑफ़ डिमांड रु. 100/- लगाया जायेगा। और दिनांक 1 सितम्बर 2024 से वर्ष 2024 - 25 के संपत्ति कर (Current year demand) पर ब्याज (Interest) लगाया जायेगा।

सभी छावनी नागरिकों से अनुरोध है की अपना संपत्ति कर, जल कर और दुकान का किराया का भुगतान जल्द से जल्द करे अन्यथा छावनी परिषद् के कार्यालय की ओर से नल के कनेक्शन बंद कर दिए जाएंगे और दुकानों को सील कर दिया जायेगा और कार्यालय की ओर से कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

कृपया इसे सभी नागरिक संज्ञान में ले।

आकांक्षा

(श्रीमती. आकांक्षा तिवारी)
मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद औरंगाबाद

O/C

प्रतिलिपी.

- 1) नोटिस बोर्ड
- 2) कार्यालय वेबसाइट
- 3) संबंधित संचिका

|| हर काम देश के नाम ||